7
राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्त्तव्य

7.1 भूमिका

200 वर्षों तक शासन और शोषण करने के बाद अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत से विदा हो गए। उन्होंने इसे एक पिछड़ा हुआ देश बना कर छोड़ दिया। इसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को छिन्न-भिन्न कर दिया। भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी के स्तर से भी नीचे जीवन जीने पर बाध्य हो गया। कृषि योग्य भूमि का अधिकांश हिस्सा बड़े ज़मींदारों के पास था। बैंकों और उद्योगों पर पूंजीवादियों का नियत्रंण था। बाल मज़दूरी और बंधुआ मज़दूरी तो आम बात हो गई थी। स्त्रियों का स्तर अत्यंत दयनीय था। कृषकों और मज़दूरों का शोषण किया जाता था। बुढ़ापे में कोई चिकित्सा संबंधी सुविधा नहीं थी और न ही औरतों के लिए प्रसूति संबंधी सहायता का प्रबंध था। अधिकतर लोग अनपढ़ थे। कार्यपालिका और न्याय संबंधी सहायता शक्तियां दोनों जिला प्रशासन में ही केंद्रित थीं। गरीबों को न्याय देने के लिए कोई भी प्रभावी तंत्र नही था।

हमारे संविधान के निर्माता भारत को एक समृद्ध और शिक्षित राष्ट्र बनाना चाहते थे। परंतु, देश के संसाधन इतने सीमित थे कि बहुत से अधिकारोंका प्रावधान मौलिक अधिकारों के भाग में नहीं किया जा सकता था। फिर भी संविधान निर्माता किसी न किसी रूप में संबंध प्रावधान बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में सम्मिलित किया। इस पाठ में आप नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अतिरिक्त मौलिक कर्त्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे जिन को 1976 के 42 वें संशोधन द्वारा संविधान की धारा (51) में सम्मिलित किया गया।

7.2 उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ बता सकेंगे ;
- नीति-निदेशक तत्वों का आर्थिक एवं सामाजिक, गांधीवादी तथा अन्य विविध वर्गों में वर्गीकरण कर सकेंगे ;
- शिक्षा की व्यापकता को प्रेरित करने, बाल मज़दूरी का उन्मूलन करने और स्त्रियों की दशा को सुधारने में नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका को समझ सकेंगे ;
- नीति-निर्देशक सिद्धांतों द्वारा राज्य कल्याण संबंधी विचारों पर सुझाई गई कार्यप्रणालियों को भारत में व्यवहार में लाए जाने की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे ;
- इस बात का विश्लेषण कर सकेंगे कि नीति-निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगे ;
- इन सिद्धांतों को कार्यान्वित करने में सरकार के महत्त्व का परीक्षण कर सकेंगे ;
- मौलिक कर्त्तव्यों के प्रसंग की समीक्षा कर सकेंगे ;
- व्याख्या कर सकेंगे कि मौलिक कर्त्तव्यों को 1976 में संविधान में संलग्न किया गया;
- संविधान में दिए गए 10 मौलिक कर्त्तव्यों की पहचान कर सकेंगे ;
- मौलिक कर्त्तव्यों के न्याय योग्य न होते हुए भी उनके महत्त्व को समीक्षा कर सकेंगे ;

7.3 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ

संविधान के निर्माता सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने के बड़े उत्सुक थे। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए कई अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करना चाहते थे। जैसे काम करने का अधिकार, शिक्षा पाने आदि को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित करना चाहते थे। परंतु उन्होंने देश में अशिक्षा और बेकारी जैसी समस्या की जटिलता को महसूस किया। वे देश के अपर्याप्त और सीमित भौतिक स्रोतों के प्रति सजग थे। इसलिए उन्होंने इनको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नही किया। इसके स्थान पर उन्होंने कुछ अन्य अधिकारों को, जिनमें विशाल धन-राशि का प्रबंध हो, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के रूप में संविधान के भाग चार में सम्मिलित किया। ये नीति-निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य हैं, परंतु देश को नियंत्रण में रखने के लिए ये एक आधार है। क्योंकि देश में कोई भी कानून या नीति बनाने में सरकार को ये निर्देशक सिद्धांत मार्ग दर्शन करते हैं।

न्यायोग्य नहीं

इसका अर्थ है कि कोई भी अदालत इसे जबरदस्ती नहीं थोप सकती। मौलिक अधिकारों की भांति कोई भी व्यक्ति अदालतों का सहारा लेकर कानूनी ढंग से राज्य की नीतियों में नीति-निर्देशक

सिद्धांत को शामिल करवाने अथवा लागू करवाए जाने का दावा नहीं कर सकता।

संविधान के इस भाग में राज्य से अभिप्रायः भारत की सरकार और संसद, राज्यों की विधान सभाओं तथा स्थानीय कानून बनाने वाली संस्थाओं से है।

7.4 नीति-निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण

हमारे संविधान के निर्माताओं ने नीति-निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरिश रिपब्लिक के संविधान से लिया। इन को हमारे संविधान के भाग (iv) में जोड़ा गया। इन सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप तथा विवरण नहीं दिया गया। इस लिए इन को व्यवस्थित रूप में वर्गीकरण करना कठिन है। इनका तीन वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। आर्थिक-सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी-सिद्धांत तथा विविध सिद्धांत सभी तीनों प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों का नीचे उल्लेख दिया गया है।

(I) आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत

(क) राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वे अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएं कि सभी नागरिकों को अपनी आजीविका कमाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकें।

(ख) समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित में वृद्धि हो और सार्वजनिक हित में उस का उपयोग हो।

(ग) देश की संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ थोड़े से हाथों में संकेंद्रण न हो जिससे सार्वजनिक हित को हानि पहुचे।

(घ) समान कार्य के लिए स्त्री-पुरुषों को समान पारिश्रमिक मिले।

(च) मज़दूरी करने वाले स्त्री-पुरुषों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए।

(छ) बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान पूर्वक जीने की सुगमता और अवसर दे।

(ज) राज्य ऐसा प्रयत्न करें कि लोगों को काम करने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या अपाहिज हो जाने पर, अर्थात जब वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाय तो राज्य उसकी आर्थिक सहायता करे।

(झ) राज्य यह भी व्यवस्था करे कि व्यक्ति केवल उचित दशाओं में ही काम करे, पूर्णतः मानवोचित हों और महिलाओं के लिए प्रसूति अवस्था में सहायता दी जाने की व्यवस्था की जाए।

(ट) मजदूर वर्ग को उचित जीवन निर्वाह-मज़दूरी मिले।

(ड) राज्य यह भी प्रबंध करे कि किसी भी उद्योग या संगठन में काम करने वाले श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाय।

(ढ) राज्य, काम करने वाले वर्गों के विशेषतः अनुसूचित जातियों व जनजातियों के, शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करे।

(ii) गांधीवादी सिद्धांत

कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों के आधार पर बनाए गए हैं।

(क) गाँव में पंचायतों का संगठन करना।

(ख) गाँव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

(ग) गाँव में नशीले पदार्थों और शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

(घ) गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारना तथा उन के वध पर प्रतिबंध लगाना इन सभी सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही हैं "कल्याणकारी समाज की स्थापना करना"

(iii) विविध नीति-निर्देशक सिद्धांत

इस वर्ग के सिद्धांत राज्य को निर्देश देते हैं कि:

(क) सभी भारतीयों के लिए एक जैसा समान आचार (सिविल) संहिता बनाई जाए।

(ख) संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद 45) दी जाने की व्यवस्था करें। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है।

(ग) ऐसे कदम उठाएं जिस से न्याय पालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए।

(घ) स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन के स्तर में वृद्धि करें।

(च) कृषि और पशु पालन के विकास के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठन निर्मित करें।

(छ) ऐतिहासिक स्मारकों को सुरक्षित बनाए रखें।

(ज) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना।

(झ) राष्ट्रों में अच्छे संबंध बनाए रखना अर्थात् राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्ण संबंध बनाए रखना।

(ट) अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिवार्ता के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयत्न करना।

(ठ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने की व्यवस्था को राज्य प्रोत्साहन प्रदान करें।

पाठगत प्रश्न 7.1

निम्नलिखित में से गांधीवादी, आर्थिक तथा सामाजिक, और विविध प्रकार के नीति–निर्देशक सिद्धांतों को अलग–अलग छाँटिए।

1. महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य पर समान पारिश्रमिक।
2. ग्राम पंचायतों की स्थापना।

3. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना।
4. सभी देश वासियों के लिए काम के अधिकार की व्यवस्था करना।
5. गौहत्या पर प्रतिबंध।
6. सभी भारतीयों के लिए एक जैसी संहिता (सिविल कोड)।

7.5 नीति-निर्देशक सिद्धांत : शिक्षा की सार्वभौमिकता, बाल मजदूर और महिलाओं का स्तर

(i) शिक्षा की सार्वभौमिकता

पहले आपने पढ़ा है कि नीति-निर्देशक सिद्धांत राज्य को यह निर्देश देते हैं कि संविधान के लागू होने के दिन से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए दबाव डालें।

भारत के स्वतंत्र होने पर भारत की केवल 14% आबादी शिक्षित थी। हमारी सरकार ने शिक्षा के महत्त्व को समझा और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। अब शिक्षा की दर बढ़ कर 52% हो गई है। परंतु अभी भी हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। हमारा सर्वप्रथम प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाए जाने पर है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा छोड़ जाने वालों के कारण, 15 से 35 वर्ष की आयु के अनपढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ जाने वालों की संख्या को यदि हमने नहीं रोका तो इस शताब्दी के अंत तक अशिक्षितों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो जाएगी।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने 'नैशनल लिटरेसी' 'ऑपरेशन ब्लै बोर्ड' जैसे संगठन शुरू किए ताकि साधारण लोगों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जा सके। वे वयस्क जो बचपन में प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें शिक्षित करने के लिए सरकार तथा कई स्वयं सेवी संस्थाओं के विशेष प्रयत्नों से 'रात्रि पाठशाला और वयस्क शिक्षा केंद्र' खोले जा रहे हैं। 1978 में सरकार ने 'राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा', 'एक को एक पढ़ाए'। 'एक शिक्षित एक अनपढ़ को पढ़ाए' का नारा दिया। इसका अर्थ है कि यदि हरेक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ को पढ़ाना अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य समझ लें तो यह अशिक्षा की समस्या कुछ ही सालों में हल हो सकती है।

> **आपरेशन ब्लैक बोर्ड :** यह एक प्रतीक उक्ति है, जिसे सामूहिक शिक्षा अभियान के लिए प्रयोग किया गया है। चूंकि श्यामपट प्रभावित रूप से सीखने और सिखाने के अनुभव में आवश्यक समझा गया है, सामूहिक शिक्षा के कार्यक्रम को 'आपरेशन ब्लैड बोर्ड' कहा गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार हर गांव में एक स्कूल हो, जिसमें श्यामपट (ब्लैक बोर्ड) और अध्यापक हों।

कई राज्यों में दूरस्थ शिक्षा पत्राचार द्वारा दिए जाने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। शिक्षा की व्यापकता के उद्देश्य को पाने के लिए नेशनल ओपन स्कूल और कई मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। परंतु अभी बहुत कुछ करने को शेष रहता है।

आप भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत नेशनल ओपन स्कूल द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) बाल मज़दूर

आपने पढ़ा कि नीति-निर्देशक सिद्धांतों में एक सिद्धांत के अनुसार बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के बारे में भी पढ़ा। 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को खानों और उद्योगों में नियुक्त करना, जो कि उनके स्वास्थ के लिए संकट पूर्ण है, पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके साथ ही भारत बच्चों के अधिकारों के लिए प्रारंभ से ही संकल्पबद्ध है। यह हमेशा और हर ओर से बच्चों को शोषण, अवहेलना और दुरुपयोग से बचाने की कोशिश करता है। बच्चों की आनंदपूर्ण, सुरक्षित और स्वस्थ बचपन देने के लिए बचनबद्ध है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights) ने भी बाल मज़दूर, बाल शोषण जैसे कानूनों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कार्य करने वाली संस्थाओं को धन देना प्रारंभ कर दिया है। इसने इस पर गंभीर रूप से विचार किया है। जहां-जहां भी बच्चों को उन की शिक्षा संबंधी अधिकार से वंचित रखकर बाल मज़दूरी में लगाने का प्रयास किया गया है वहां वहां इसने सरकार को ऐसी स्थिति में तुरंत सुधार लाने को कहा है ताकि ऐसे बच्चे जो इस चंगुल से निकल कर आए हैं, उनके लिए मौलिक शिक्षा पर जोर दे।

इतने विचार-विमर्श के बावजूद वह नतीजा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बहुत सारे हालातों में बाल मज़दूरी को दूर करने में मां-बाप का रवैया सहायक नहीं साबित हुआ। वे बच्चों को पैसा कमाने के लिए काम करने पर मजबूर करते हैं ताकि परिवार की आय बढ़े। निःसंदेह गरीबी भी एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ी बात यह कि उनमें बच्चों के कल्याण करने की इच्छा की कमी है। बच्चों को उनके बचपन की खुशियों और शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए।

(iii) महिलाओं की स्थिति

इस संदर्भ में महिला की स्थिति यह संकेत करती है कि एक विशेष सामाजिक प्रणाली में उसका क्या स्थान है? उसको क्या अधिकार और सुविधा प्राप्त है? इनको कैसे निश्चित किया गया है? क्या इन शक्तियों, प्राधिकारों या विशेष अधिकारों तक उसकी पहुंच है? क्या उसके स्तर की तुलना पुरूष के स्तर से की जा सकती है?

भारतीय समाज पुरुष-प्रधान समाज है। पिता परिवार का मुखिया होता है और मां की स्थिति उससे गौण है। एक महिला चाहे वह एक मां हो, पत्नी, बहन या एक बेटी हो स्त्री की स्थिति ऐसी सामाजिक प्रणाली में कमजोर ही रहती है। सभी रीति-रिवाज धन संपत्ति उतराधिकार या विवाह से संबंधित मान्यताएं पुरुष के पक्ष में ही जाती हैं। जन्म से ही पुरूषों को इस समाज

में विशेष स्थान प्राप्त है। लड़कों को बड़ा मान सम्मान मिलता है जबकि लड़कियों को उतना मान-सम्मान तो मिलता नहीं बल्कि उनके जन्म को एक दायित्व जिम्मेदारी माना जाता है। स्त्रियां हमारे समाज में कुरीतियों और धार्मिक कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा, पर्दा और दहेज जैसी कुप्रथाओं के कारण दुख पाती रही हैं।

> **स्तर:** स्तर से अभिप्राय है किसी व्यक्ति का उसके समाजिक प्रणाली में आदर, स्नेह, प्राधिकार, सुविधाएं और दूसरों को प्रभावित करने से संबंधित उसकी स्थिति।

भारतीय महिलाओं की दशा का एहसास करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत औरतों को बराबरी का हक और नारी-शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने जीवन यापन के साधन जुटाएं और पुरुषों के समान कार्य में समान पारिश्रमिक पाएं। मज़दूर महिलाओं को स्वास्थ्य और प्रसूति के लिए सहायता मिले।

मौलिक कर्त्तव्यों में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि नारी की हीन भावना को दूर कर, उसकी मान प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाए।

औरतों की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कई कानून बनाए गए और न्यायालय में फ़ैसले लिए गए। उनके अधिकारों को सुरक्षा और संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए। दहेज के लिए बहू को जला देना, पत्नी को प्रताड़ित करना और सती जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून लागू किए गए हैं। लड़की को जन्म से पहले खत्म करवा देना, लड़की और लडकों के जन्म में भेदभाव करना, बाल विवाह आदि पर प्रतिबंध जैसे कदम स्त्री की पदस्थिति को सुधारने में सहायता कर रहे हैं।

महिलाओं को शक्ति को बढ़ाने के लिए पंचायत और नगर पालिकाओं (म्युनिसिपैलिटी) में एक तिहाई औरतो के लिए स्थान आरक्षित कर दिया है। इसी तरह संसद और राज्य विधान सभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव है।

इन सब प्रयत्नों के बावजूद भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ करना अभी शेष है।

पाठगत प्रश्न 7.2

नीचे दिए गए खाली स्थानों को हर प्रश्न के अंत में दिए शब्दों/अंकों में से ठीक शब्द/अंक चुनकर पूरा कीजिए।

1. स्वतंत्रता के समय शिक्षित लोगों की संख्या .... थी। (12% 14% 16%)
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ .... में किया गया। (1984, 1986, 1988)

3. बच्चों के शोषण के विरुद्ध...के अंतर्गत प्रबंध किया गया। (मौलिक अधिकारों नीति-निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्त्तव्यों)
4. महिला-पुरुष के लिए समान कार्य के समान वेतन दिए जाने का प्रबंध .... के अंतर्गत किया गया। (मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों नीति-निर्देशक सिद्धांतों)
5. महिलाओं के प्रति हीन भावना का त्याग कर स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा बनाए रखने पर जोर ....में दिया गया है। (नीति–निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों)
6. महिलाओं और बाल-विकास विभाग की स्थापना............................में की गई। (1978, 1985, 1992)
7. पंचायतों में महिलाओं के लिए.......................................सीटें आरक्षित की गई हैं। (¼, $^1/_3$, ½,)

7.6 नीति निर्देशक सिद्धांत और लोक-कल्याणकारी राज्य

संविधान के निर्माताओं ने एक विशेष उद्देश्य के लिए नीति-निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया। हरेक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार देकर राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना की। परंतु एक सफल कल्याणकारी तथा सामाजिक-आर्थिक राज्य की स्थापना करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा जनतांत्रिक समानता की स्थापना आवश्यक थी।

फिर भी अशिक्षा का उन्मूलन, सबके लिए नौकरियों का प्रबंध तथा अमीरी और गरीबी की खाई को दूर करना एक बहुत ही कठिन कार्य है।

नीति-निर्देशक सिद्धांत तो ध्रुव तारे का काम करते हैं अर्थात् मार्गदर्शन करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य है कि सरकार अपने भौतिक स्रोत्रों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी जल्दी संभव हो सब को, सब ओर से सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करवाएं। परंतु हमें अब तक नीति-निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक व सामाजिक समानता के कई उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके हैं।

कल्याणकारी राज्यः ऐसा राज्य जो समाज के कमजोर वर्गों के हितों तथा उनकी सेवाओं का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर ले उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ऐसा राज्य संपत्ति के समान बटवारे के लिए संकल्पबद्ध होता है तथा गरीब, कमजोर एवं जरूरत मंद लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं आदि की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होता है।

नीति-निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन

नीति-निर्देशक सिद्धांत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की आधारशिला का काम करते हैं। इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यहां उनके कई उदाहरण दिए गए हैं।

ई भूमि सुधार किए गए हैं और जागीरदारी और ज़मीदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया।
र्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चालाई गईं हैं। औद्योगिकीकरण और

कृषि उत्पादन को हरित क्रांति द्वारा बढ़ाया गया है।

किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमि और संपत्ति की एक अधिकतम सीमा निश्चित की गई है। राजकुमारों को व्यक्तिगत रूप से दिए जाने वाले खर्चों का उन्मूलन कर दिया गया है। जीवन बीमा, साधारण बीमा और बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया है। एकाधिकार पर नियंत्रण लाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं।

आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से हटा दिया गया है। धन संपत्ति के समान वितरण और सामाजिक न्याय के लिए कर के ढांचे को सुधारा गया है।

> **हरित क्रांतिः** हमारा कृषि उत्पादन कम होने के कारण हमें अनाज विदेशों से आयात करना पड़ता था। किंतु कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोगों से कृषि उत्पादन एक दम से बढ़ा। अब हम न केवल आत्म निर्भर है। बल्कि हमारे पास ज़रूरत से अधिक है। खाद्य के उत्पादन की यही वृद्धि हरित क्रांति कहलाती है।

छुआछूत की बुराई का उन्मूलन कर दिया गया है, परंतु अभी भी बहुत कुछ व्यवहार में लाए जाने के लिए शेष है। सरकार ने अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक प्राधिकार के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज को स्थापित किया। 73 वें और 74 वें सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय निकायों को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई।

कई राज्यों में सरकारों ने तो शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई राज्यों ने तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र का सकारात्मक सहयोग दिया है।

द्वि-विवाह की स्थिति में, उच्चतम न्यायलय की चेतावनी के बावजूद भी राज्यों ने कोई समान नागरिक आचार संहिता नहीं बनाई और न ही अशिक्षा को दूर करने के लिए 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की।

जब हम अपने समाज की ओर देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि शोषण, भूख और बीमारियों से रहित समान सामजिक और आर्थिक न्याय के उद्देश्य का हमारा सपना साकार हो पाना बहुत दूर है? यह ऐसा क्यों है। इसके कई कारण हैं जैसे सीमित मौलिक स्रोत या न्यायपालिका द्वारा रुकावटें डालना। हर बार न्यायपालिका कोई न कोई बहाना करके रुकावट डाल देती है। फिर सुधार कर, रास्ता निकाला जाता है। कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों को क्रियान्वित न हो पाने के वास्तविक कारण इस प्रकार है :

1. राज्य की राजनैतिक इच्छा में कमी।
2. लोगों में जागृति और संगठित रूप से काम करने की कमी।

पाठगत प्रश्न 7.3

निम्नांकित रिक्त स्थानों को प्रश्नों के अंत में दिए गए शब्दों में से ठीक शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए।

1. एक.. राज्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अपनी सेवाएं देने की जिम्मेदारी लेता है। (समाजवादी, कल्याणकारी, धर्मार्थ)
2. सरकार ने संपत्ति का.. बंटवारा करने का प्रयत्न किया है। (समान, असमान, सामान्य)
3. भारत में.. की प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया है। (पूंजीवाद, जमींदारी, जातिवाद)
4. संपत्ति के अधिकार को...................... से निकाल दिया गया है। (संविधान, मौलिक अधिकार नीति-निर्देशक सिद्धांतों)
5. पंचायतों को.................................... क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। (ग्रामीण, महानगरों, शहरों)
6. .... उद्योगों का बढ़ाने के लिए खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है। (लघु, मध्य, कुटीर)

7.8 मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों में अंतर

मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं जिन को राज्य ने मान्यता दी है। इनका स्वरूप यह है कि ये सरकार की कुछ शक्तियों पर रोक लगाती हैं अतः ये नकारात्मक प्रकृति की हैं। दूसरी ओर नीति-निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक हैं, सरकार को, इनको हर स्तर पर लागू करना पड़ेगा ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य यह होता है कि हर नागरिक का विकास हो। हरेक को व्यक्तिगत रूप से भलाई हो। परंतु नीति-निर्देशक सिद्धांत समाज-कल्याण के लिए होते हैं।

एक और अंतर इन में यह है जो कि पहले भी बताया गया है मौलिक अधिकार न्याययोग्य हैं और इनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। नीति-निर्देशक सिद्धांत न्याययोग्य नहीं होते हैं। इसलिए कुछ लोग इनको नए साल की शुभकामनाएं मात्र कहते है।

इससे हम यह निष्कर्ष पर नहीं निकालना चाहिए कि नीति-निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से निम्न हैं। हमने देख लिया है कि भारतवर्ष में सरकार ने निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन के लिए मूल आधार माना है। इसने इन सिद्धांतों को कानून बनाने तथा नीति निर्धारित करने में लागू करने का प्रयत्न किया है।

इन ये अंतर के बावजूद इनमें गहरा संबंध है। मौलिक अधिकार सामाजिक समानता, और लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति-निर्देशक सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन हैं। दोनो एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकार के सभी विभागों को चाहिए कि इन निर्देशों का अनुसरण करें, यदि वे कल्याणकारी राज्य चाहते हैं।

सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। अपने हर कार्य के लिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। चाहे इन सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी स्वीकृति नहीं हैं, अंतिम स्वीकृति तो लोगों की है। अब लोगों को मालूम पड़ गया है कि ये सिद्धांत उनके कल्याण के लिए हैं, इसलिए वे इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। समय-समय पर कराए जाने वाले चुनावों के द्वारा जनता सरकार पर दबाव डालती है।

पाठगत प्रश्न 7.4

निम्न खाली स्थानों को हर प्रश्न के अंत में दिये गए शब्दों में से ठीक शब्द चुनकर लिखिए।

1. नीति-निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति .... है। (नकारात्मक, सकारात्मक, तटस्थ)
2. मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हर .... का विकास करना है। (परिवार, गुट, व्यक्ति)
3. नीति-निर्देशक सिद्धांतों का नव वर्ष की शुभ कामनाएं कहा गया क्योंकि............................. (पवित्र, न्याययोग्य, न्याय अयोग्य)
4. भारत सरकार राज्य को शासित करने के लिए नीति-निर्देशक सिद्धांतों को..................... मानती है। (बेकार, बोझ, मूल आधार)
5. बाद में उच्चतम न्यायालय ने नीति-निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में................. (उपेक्षा, जोर, अवहेलना) शुरू कर दी।
6. नीति-निर्देशक सिद्धांत देश में....................................लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हैं। (राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक)

7.9 मौलिक कर्त्तव्य

अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी अधिकार कर्त्तव्य के बिना नहीं हो सकता। यही कारण है कि किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का काम, उस राज्य के कर्त्तव्य और अधिकारों की अच्छी संगठित प्रणाली पर निर्भर है। हम आप को यह भी बता दें कि आज किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए, जोर केवल अधिकारों पर ही नहीं दिया जाता बल्कि इस पर भी जोर दिया जाता है कि नागरिक अपने कर्त्तव्यों को कैसे निभाते हैं। शायद इसी विश्वास से 1976 में 42वें सुधार द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। एक नई धारा 51(A) के द्वारा संविधान के भाग (IV) में जोड़ दिया गया, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है।

एक बात और ध्यान देने के योग्य है जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्याययोग्य नहीं है उसी प्रकार ये कर्त्तव्य भी न्याययोग्य नहीं हैं। इसका अर्थ है कि यदि भारत का कोई नागरिक अपने मौलिक कर्त्तव्यों को नहीं निभाता तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(i) कर्त्तव्यों की सूची

निम्नलिखित मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान की सूची में शामिल किया गया है।

1. संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें, जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित मिला था।
3. भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें।
4. जब भी आवश्यकता पड़े तो देश की रक्षा करें।
5. सभी वर्गों के लोगों में भ्रातृत्व और समरसता की भावना बढ़ाएँ और स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर करें।
6. गौरवशाली परंपरा और सामासिक संस्कृति को बनाए रखें।
7. प्राकृतिक वातावरण जिसमे वन, नदियां, झील और जगत के जीव–जंतु शामिल की जिंदगी में सुधार लान तथा उनकी रक्षा करना।
8. मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का प्रयोग न करना
10. व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हर क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य के लिए संघर्ष करना
11. धारा 51 (क) में 86वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई हैं कि माता पिता अथवा अभिवावक यह व्यवस्था करें कि उनके 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें।

पाठगत प्रश्न 7.5

1. हर प्रश्न का उत्तर उसके सामने (हां) या (नहीं) में दीजिए।
   (क) अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
   (ख) मौलिक कर्त्तव्य मौलिक संविधान में थे।
   (ग) मौलिक कर्त्तव्यों का मौलिक अधिकारों के साथ उल्लेख किया गया है।
   (घ) मौलिक कर्त्तव्य न्याययोग्य हैं।

(ii) मौलिक कर्त्तव्यों की प्रकृति

हमारे संविधान में मौलिक कर्त्तव्य केवल आदर्शों की ओर संकेत करते हैं। वे वास्तविक नहीं जान पड़ते। इन कर्त्तव्यों की विशेष अलोचना इस प्रकार से है कि वे न्याययोग्य नहीं हैं। जिसका परिणाम यह निकलता है, ये कर्त्तव्य संविधान पर बोझ बनकर रह गए हैं। कुछ कर्त्तव्य तो साधारण मनुष्य

की समझ से बाहर हैं। जैसे गौरवशाली परंपरा और सामासिक संस्कृति का अर्थ साफ नहीं हो पाता है। मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन देने वाले आदर्श से संबंधित कर्त्तव्य अस्पष्ट हैं।

मौलिक कर्त्तव्यों की सूची में अस्पष्ट आदर्शों को सम्मिलित करने का कोई लाभ नहीं है। अच्छा तो यह था कि स्पष्ट कर्त्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया जाता और उनका पालन भी आसानी से किया जाता। यदि उनको भंग किया जाय तो सज़ा भी दी जाय। 1976 में एक न्याय शास्त्री ने कहा था कि शायद इन कर्त्तव्यों का पालन कभी भी नहीं किया जायेगा। इन सब का एक पवित्र घोषणा पत्र ही है। यह सत्य है कि कर्त्तव्य न्याय-अयोग्य हैं, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। फिर भी न्यायालयों ने इन पर पूरा ध्यान दिया है। इसी तरह से राष्ट्रीय वातावरण बनाए रखने के कर्त्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय ने, वातावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को शहर से बाहर भेजने, यमुना के पानी का प्रदूषण से बचाने के लिए बूचड़खानों को आबादी के इलाकों से दूर ले जाने, राष्ट्रीय वातावरण को बचाने के कर्त्तव्य के बनाए रखना। इसी प्रकार औरतों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना हर नागरिक का कर्त्तव्य है। कि स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने का उल्लंघन किया गया तो स्त्रियों की मान-प्रतिष्ठा का उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय उसके पुर्नस्थापित करने का आदेश दिया है।

पाठगत प्रश्न 7.6

1. ठीक शब्द चुनकर लिखिए।

   (क) मौलिक कर्त्तव्य न्याययोग्य/न्याय-अयोग्य हैं

   (ख) ये कर्त्तव्य आदर्शवादी/जीवन में वास्तविक हैं।

   (ग) ये कर्त्तव्य बहुत ही स्पष्ट/अस्पष्ट हैं।

   (घ) सर्वोच्च न्यायालय इन कर्त्तव्यों को ध्यान में रखता/नहीं रखता है।

7.10 आपने क्या सीखा

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग (iv) में सम्मिलित किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के विशेष उद्देश्य से संविधान में सम्मिलित किया। ये सिद्धांत राज्यों (सरकारों) को लोगों की सामूहिक भलाई के लिए नीति और कानून बनाने के निर्देश देते हैं। ये सिद्धांत न्याययोग्य नहीं हैं और इन्हें किसी के ऊपर न्यायालय का कानून जबरदस्ती थोप नही सकता है। फिर भी किसी देश की सरकार को चलाने के मूल आधार हैं।

अपनी सुविधा के लिए हम इनको तीन वर्गों में बांटते हैं।

(क) सामाजिक और आर्थिक

(ख) गांधीवादी

(ग) विविध निर्देशक सिद्धांत

नीति–निर्देशक सिद्धांत शिक्षा की व्यापकता, बाल मज़दूरी का उन्मूलन तथा स्त्रियों के स्तर में सुधार लाने पर जोर देते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का ढांचा बनाते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार इन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न कर रही है। इस क्षेत्र में काफी सफलता मिली है परंतु अभी बहुत कुछ करने को शेष है।

मौलिक अधिकारों और नीति–निर्देशक सिद्धांतों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। मौलिक अधिकारों की न्याययोग्यता स्वाभाविक रूप से नकारात्मक है जबकि नीति–निर्देशक सिद्धांत न्याययोग्य नहीं हैं और स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हैं।

इन दोनों में गहरा संबंध होता है। ये दोनों ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने में बराबर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी इन निर्देशक–सिद्धांतों को कार्यरत करने पर जोर दिया है।

सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती। उसे इन को क्रियान्वित करना ही पड़ता है, क्योंकि ये देश की सरकार को चलाने के लिए आधार हैं। यदि सरकार इनकी अवहेलना करती है तो अगले आम चुनाव में लोग इसको सत्ता में नहीं आने देंगे।

अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज के कल्याण और उन्नति के लिए, अधिकारों और कर्त्तव्य को समान रूप से बांटा जाना चाहिए। ग्यारह मौलिक कर्त्तव्य है जिन को 1976 में 42 वें सुधार के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है। इनको निर्देशक सिद्धांतों की तरह 51। धारा में न्याय–अयोग्य, सिद्ध किया गया है।

भले ये आदर्श और अस्पष्ट विचार हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में इन पर विचार किया है जैसे वातावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों से जन जीवन की रक्षा करना।

7.11 पाठांत प्रश्न

1. राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों का मूल्यांकन कीजिए। इनके पीछे क्या शक्ति है?

2. राज्य के छह महत्त्वपूर्ण नीति–निर्देशक सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वे कैसे सामाजिक–आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में मदद करते हैं?

3. निम्नलिखित सम्बंधित नीति–निर्देशक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए।
   (a) शिक्षा की सार्वभौमिकता
   (b) बाल मज़दूरी का उन्मूलन
   (c) महिलाओं के स्तर में सुधार

4. नीति–निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में राज्य की क्या जिम्मेदारी है?

5. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर का वर्णन कीजिए। क्या ये दोनों समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं? कारण बताइए।
6. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के संबंध का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
7. अधिकारों को पाने की खुशी कर्त्तव्य को निभाने पर निर्भर करती इस कथन की पुष्टि कीजिए।
8. मौलिक कर्त्तव्य कितने प्रकार के होते हैं?
9. भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों के महत्त्व का मूल्याकंन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

7.1 1. सामाजिक और आर्थिक 2. गांधीवाद
3. विविध 4. सामाजिक और आर्थिक
5. गांधीवाद 6. विविध

2.2 1. 14% 2. 1986
3. मौलिक अधिकार 4. नीति-निर्देशक-सिद्धांत
5. मौलिक कर्त्तव्य 6. 1985
7. 1/3

7.3 1. कल्याणकारी 2. सम्मानीय
3. जमींदारी 4. मौलिक अधिकार
5. ग्रामीण 6. कुटीर

7.4 1. सकारात्मक 2. व्यक्तिगत
3. न्याय-अयोग्य 4. मौलिक
5. जोर (दबाव) 6. आर्थिक

7.5 1. हां 2. नहीं 3. हां 4. नहीं
1. ए 2. ई 3. जी

7.6 1. न्याय-अयोग्य
2. आदर्श
3. अस्पष्ट
4. ब्योरे में ले लेना

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. उपखंड 7.1 देखें
2. उपखंड 7.3 देखें
3. उपखंड 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 देखें
4. उपखंड 7.6 देखें
5. उपखंड 7.7 देखें
6. उपखंड 7.7 देखें
7. उपखंड 7.8 देखें
8. उपखंड 7.8.1 देखें
9. उपखंड 7.8.2 देखें